न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 396–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–11–2011 पारित द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 203/2009–10/अपील.

इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
(पूर्व नाम एरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय 370–371/2
साही हास्पिटल रोड, जंगपुरा–भोगल
नई दिल्ली 110014 ....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....प्रत्यर्थी

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, एवं
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, प्रत्यर्थी शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त तहसीलदार, रामपुरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मनासा जिला नीमच के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 2–5–2007 को कस्बा रामपुरा, चम्बल रोड के किनारे अपीलार्थी एरा कंस्ट्रक्शन कम्पनी के दो डम्पर और एक जे.सी.बी. मशीन पत्थर मुरम खुदाई करते पाये जाने पर जब्त किये गये, और मौके पर एक लाख घनमीटर मुरम का खनन किया जाना

पाया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 247 के अंतर्गत प्रकरण कमांक 02/अ–68/2006–07 दर्ज कर दिनांक 15–7–2010 को आदेश पारित कर उत्खनित खनिज का बाजार भाव रूपये पचास लाख का दोगुना रूपये एक करोड़ अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–11–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनांक 14–9–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, किन्तु अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लिखित आधारों एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में किया जा रहा है । अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया कि जिन व्यक्तियों के द्वारा अवैध उत्खनन करते पाया गया है, वे अपीलार्थी के कर्मचारी थे ही नहीं, और बाद में जिन व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उन्हें सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इसी आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को पूर्णतः नजरअंदाज कर अपील में उठाये गये आधारों पर बिना विचार किये अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अपीलार्थी को जिन स्थानों का पट्टा जारी किया गया है, उन्हीं स्थानों से अपीलार्थी द्वारा उत्खनन किया गया है, अतः अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन नहीं किया गया है ।

(4) दिनांक 4–5–2007 को अपीलार्थी द्वारा कौनसी भूमि से उत्खनन किया गया है, यह सिद्ध करने का भार शासन पर था, जो नहीं किया गया है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–5–2007 को पचास हजार घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन होने का अनुमान किया गया है, जबकि स्वयं दिनांक 15–7–2010 को

आदेश पारित कर एक लाख घनमीटर मुरम अवैध उत्खनन के अनुमान पर रूपये एक लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जो कि बिना किसी आधार के होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह उल्लेख नहीं है कि किस सर्वे कमांक की भूमि से अवैध उत्खनन किया गया है, और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष साक्ष्य से बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड अवैधानिक एवं अनुचित है, और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने के संबंध में तहसीलदार द्वारा मय पंचनामा एवं खसरा की प्रति सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए आवेदक कम्पनी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना सिद्ध पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) अपीलार्थी के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 16–8–2008 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, और संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह विलंब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–6–2010 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त करने में उचित कार्यवही की गई है, और आवेदक कम्पनी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5–6–2010 के विरूद्ध कोई विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की गई है, इस कारण वह आदेश अंतिम हो चुका है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये गये हैं, अतः यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में उल्लिखित आधारों एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख

का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए साक्ष्य से अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैध उत्खनित मुरम के बाजार मूल्य का दोगुना रूपये एक करोड़ अर्थदण्ड अधिरोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2011 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर